यह निरीक्षण प्रतिवेदन **मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, राजकीय कोरोनेशन चिकित्सालय, देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, राजकीय कोरोनेशन चिकित्सालय, देहरादून** के माह 07/2014 से माह 11/2016 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री सुधीर कुमार तथा देवेद्र दिवाकर, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री दया शंकर, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 23.12.2016 से 04.01.2017 तक श्री दानिश इकबाल, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-प्रथम

1. परिचयात्मकः- इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री भानु प्रताप सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं महेश चन्द्र पर्यवेक्षक द्वारा दिनांक 14.07.2014 से 24.07.2014 तक श्री महेन्द्र तिवारी लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में संपादित किया गया था। जिसमें माह 07/2012 से 06/2014 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा माह 07/2014 से 11/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जाँच की गई।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः-

(अ) मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, राजकीय कोरोनेशन चिकित्सालय, देहरादून का मुख्य कार्यकलाप चिकित्सालय में आने वाले रोगियों का चिकित्सा उपचार देना।

(II) (अ) विगत तीन वर्षों के बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि ` लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2014-15	NIL	0.01	1093.10	1076.76	198.87	19.76	स्थापना	16.84
					Bank ins. 86508		गैर स्थापना	1.12
2015-16	NIL	1.12	1204.93	1046.72	143.94	144.52	स्थापना	158.22
					Bank ins. 18559		गैर स्थापना	0.53
2016-17 (Up to Sep. 2016)	NIL	0.53	916.16	659.11	35.00	35.46	स्थापना	257.05
					0		गैर स्थापना	0.07

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(धनराशि ` लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रा. अवशेष	प्राप्त	व्यय आधिक्य (+)	बचत (-)
2014-15	Jssk Promise United fund	2.19	3.39	4.42	1.16 समर्पण
2015-16	Jntied fund	शून्य	10.00	10.00	शून्य
2016-17 (Up to Nov.2016)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(III) इकाई को बजट प्राप्ति के मुख्य स्रोत महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड से प्राप्त होते हैं।

(IV) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः- लेखापरीक्षा में **मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, राजकीय कोरोनेशन चिकित्सालय, देहरादून** (अनुपालन लेखापरीक्षण दिशा निर्देशों के अनुसार जिन-जिन इकाईयों की लेखापरीक्षा सम्पादित की गयी उन्हें अंकित किया जाय) को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, राजकीय कोरोनेशन चिकित्सालय, देहरादून** (जिस इकाई की लेखापरीक्षा सम्पादित की गयी हो उसे अंकित किया जाय) की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 01/2015 एवं 03/2016 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। (जिस योजना का चयन किया गया उसका नाम अंकित किया जाय) का विस्तृत विश्लेषण किया गया। (प्रतिचयन अधिकतम व्यय धनराशि) के आधार पर किया गया।

(V) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखपरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-दो(अ) प्रस्तर संख्या	भाग-दो(ब) प्रस्तर संख्या	पूरक
10/207-08	1,2	1,2,3,4	-----
42/2012-13	-----	1,2	1
50/2014-15	-----	1,2,3,4,5	-----

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
.....	.....	अप्रस्तुत	.....	.....

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(इस भाग में इकाई द्वारा निष्पादित सबसे अच्छे कार्य (यदि कोई हों) जो लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आये है, उनका वर्णन किया जाय)

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-1- गुणवत्ता की जांच किए बिना औषधियों का अनियमित क्रय ` 47.70 लाख।

उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 1289/xxviii-5 2008-24/2003 चिकित्सा अनुभाग-5 देहरादून दिनांक 28 अक्टूबर 2009 के बिन्दु 11 (क) के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य में राजकीय चिकित्सालयों/औषधालयों के लिए एक बार में क्रय की गयी विभिन्न औषधियों में से 20 प्रतिशत दवाओं के रैंडम नमूने लेकर उनका अधिकृत ख्याति प्राप्त संस्थाओं से विश्लेषण कराया जाए ताकि दवाइयों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके। औषधि के नमूनों की जांच हेतु शासन द्वारा अनुमोदित जांचकर्ता फर्मों के पैनल से इस हेतु निर्धारित की गयी प्रक्रिया के अनुरूप जांच कराई जाए। बिन्दु 10 के अनुसार प्रत्येक निविदा दात्री फार्म द्वारा आपूर्ति की जाने वाली औषधि उसके निर्माण की तिथि से तीन माह से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। बिन्दु 21 के अनुसार परिधिगत अधिकारी अपने उपलब्ध धनराशि का 85 प्रतिशत क्रय अनुमोदित दर अनुबंध सूची में करेंगे तथा बाकी का स्थानीय आवश्यकता अनुरूप करेंगे।

दवाईयों और Surgicals Items के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि हास्पिटल द्वारा लेखापरीक्षा अवधि 07/2014 से 11/2016 तक ` 1,34,75,563.00 की दवाई, ` 12,69,698.00 Surgical Items (कुल ` 1,47,45,261.00) क्रय किए गए। जिसमें से क्रय की गयी दवाइयों के 20 प्रतिशत को रैंडम नमूने उनका अधिकृत ख्याति प्राप्त संस्थानों से विश्लेषण कराया जाना था। दवाई स्टाक पंजिका की जांच में पाया गया कि 2014-15 में 85 किस्म की दवाईयां क्रय की गयी जिसमें से मात्र 8 दवाओं के और 2015-16 में 92 किस्म की दवाइयाँ क्रय की गयी जिसमें मे मात्र 8 दवाओं के ही परीक्षण कराये गए। जो कि शासनादेश के प्रावधानों के वर्णित नियमों का उल्लंघन था। परीक्षण वर्ष में केवल एक ही बार कराया गया जबकि दवाईयाँ प्रतिवर्ष कई बार ली जा रही है नियमानुसार जब दवाईयां क्रय की जाए तब ही उनके 20 प्रतिशत रैंडम नमूने लेकर उनका विश्लेषण कराया जाना चाहिए था।

जांच में यह भी पाया गया कि कुल क्रय ` 147.45 लाख की दवाईयों और Surgical Items में से ` 77.64 लाख (52.65 प्रतिशत) ही Rate of contract से खरीदी गयी और शेष 47.35 प्रतिशत कोटेशन और स्थानीय दरों से क्रय की। इसमें से ` 47.70 लाख (32.35 प्रतिशत) मूल्य की औषधियों जो नियमानुसार नहीं क्रय की गयी।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक राजकीय कोरोनेशन चिकित्सालय देहरादून ने अपने उत्तर में बताया कि फार्मों द्वारा औषधियों की आपूर्ति करते समय विश्लेषण रिपोर्ट बिल के साथ संलग्न कर दी जाती है। एवं औषधियों के क्रय के संबंध में कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि औषधि प्राप्त होने के पश्चात उसकी गुणवत्ता की जांच कराई जानी चाहिए थी।

अतः गुणवत्ता की जांच किए बिना औषधियों का अनियमित क्रय ` 47.70 लाख का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-2- अपोलो संस्थान द्वारा बिना सेवा विस्तार के अनाधिकृत रूप से संचालित किया जाना।

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, कोरोनेशन चिकित्सालय, देहारादून के परिसर मे लोक निजी सहभागिता के आधार पर अपोलो संस्थान द्वारा संचालित हैं, जिसका पाँच वर्षो के लिए अनुबन्ध दिनांक 23.02.2010 संपादित किया गया था। शासन द्वारा दिये गए निर्देशों के क्रम में अपोलो के सहयोग से संचालित नेफ्रोड्यलिसिस सेन्टर का अनुबन्ध के अनुसार सेवा विस्तार किया जाना था।

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, कोरोनेशन चिकित्सालय, देहारादून के अपोलो संस्थान से संबन्धित अभिलेखों की जाँच मे यह तथ्य प्रकाश में आया कि अनुबन्ध अवधि समाप्त होने के बाद शासन द्वारा अंतिम सेवा विस्तार 06 सितम्बर 2016 तक का दिया गया था उसके पश्चात शासन के द्वारा कोई आदेश जारी नहीं किया गया था और न ही विभाग द्वारा उक्त के सम्बंध कोई कार्यवाही की गयी। उक्त संस्थान का अनुबन्ध न निरस्त किया गया था और न ही सेवा विस्तार किया गया। इस प्रकार संस्थान दिनांक 07/09/2016 से बिना सेवा विस्तार के अनाधिकृत रूप से संचालित था।

उक्त के सम्बंध में इंगित किए जाने पर विभाग ने तथ्यों एवं आकणों की पुष्टि की तथा अवगत कराया कि संस्थान को समय विस्तार देना शासन एवं विभागाध्यक्ष स्तर से अपेक्षित है। संस्था का अनुबन्ध अभी निरस्त नहीं किया गया है उक्त संस्था सितम्बर 2016 के बाद किसी के भी आदेश से संचालित नहीं है। संस्थान को समय विस्तार देना शासन एवं विभागाध्यक्ष स्तर से अपेक्षित है।

विभाग द्वारा यह स्वयं स्वीकार किया कि संस्थान को समय विस्तार देना शासन एवं विभागाध्यक्ष स्तर से अपेक्षित है। संस्थान का अनुबन्ध भी निरस्त नहीं किया गया था और न ही सेवा विस्तार किया गया था। इस प्रकार संस्थान दिनांक 07/09/2016 से बिना सेवा विस्तार के अनाधिकृत रूप से संचालित रहने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

<u>भाग-दो(ब)</u>

प्रस्तर-3- उच्चतर प्राधिकारी की संस्वीकृति प्राप्त करने की आश्यकता से बचने के लिए ` 25.55 लाख के कार्यों को छोटे-छोटे भागों में विभक्त कर कराया जाना।

प्रोक्योरमेंट नियमावली के अनुसार अधिप्राप्ति मूल्य कम करने के लिए आवश्यक मात्रा को विभाजित नहीं किया जाएगा और न ही कुल आवश्यकता के आंकलित मूल्य के सन्दर्भ में अपेक्षित उच्चतर प्राधिकारी की संस्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता से बचने के लिए छोटे-छोटे भागों में विभक्त किया जायेगा। यदि कराये जाने वाले कार्य की लागत रू॰ 1 लाख से ज्यादा है एवं रू॰ 15 लाख तक हो तो कार्य के निष्पादन के लिए समिति द्वारा निविदा आमंत्रित किया जाना चाहिए ।

प॰ दीनदयाल राजकीय कोरोनेशन चिकित्सालय में रंगाई पुताई के कार्यों को कराये जाने हेतु कार्यालय महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड ग्राम डांडा लखौण्ड, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून के पत्र क्रमांक 7प /1/152/2014/1967 दिनांक 27-01-2015 को तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी। उक्त कार्यों को पूर्ण कराये जाने हेतु मैसर्स एस॰ एस॰ खुराना, गोविन्दपुरी, हरिद्वार का अनुबन्ध 07-11-2014 किया गया।

कार्यालय राजकीय कोरोनेशन चिकित्सालय देहरादून के वाउचरो से संबन्धित अभिलेखों की जाँच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि लघु निर्माण कार्य उच्चतर प्राधिकारी कि संस्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता से बचने के लिए उन कार्यों को छोटे-छोटे भागों में विभक्त कर किए गए हैं। जबकि प्रोक्योरमेंट नियमावली के अनुसार अधिप्राप्ति मूल्य कम करने के लिए आवश्यक मात्रा को विभाजित नहीं किया जाना था। इस प्रकार कुल आवश्यकता के आंकलित मूल्य में अपेक्षित उच्चतर प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता से बचने के लिए कार्यों को छोटे-छोटे भागों में विभक्त किया गया (सूची संलग्न)। अतः ` 25.55 लाख के कार्यों का निष्पादन करने में प्रक्योरमेंट नियमावली का अनुपालन नहीं किया गया तथा उक्त कार्यों से संबन्धित वित्तीय स्वीकृति अभिलेखों में नहीं पाई गयी जिससे स्पष्ट था कि विभाग द्वारा बिना वित्तीय स्वीकृति प्राप्त किए करवाया गया जो कि वित्तीय नियमों की अवहेलना है।

उक्त के सम्बंध में इंगित किए जाने पर विभाग ने तथ्यों एवं आकणों की पुष्टि की तथा अवगत कराया कि महा निदेशालय स्तर से प्राप्त लघु निर्माण की तकनीकी स्वीकृति के उपरान्त ही कार्य की वित्तीय बजट स्वीकृति प्रबन्धन समिति के अध्यक्ष जिला अधिकारी से प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य संपादित कराये जाते हैं। कार्यों को आकस्मिकता एवं आवश्यकतानुसार ही छोटे-छोटे भागों में

किया गया है। चिकित्सालय में समय- समय पर आवश्यकता को देखते हुये उक्त लघु कार्य किए गए आवश्यकता एवं बजट को देखते हुये उक्त कार्यों को एक साथ सम्भव नहीं था।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि विभाग द्वारा लघु निर्माण कार्य उच्चतर प्राधिकारी की संस्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता से बचने के लिए उन कार्यों को छोटे-छोटे भागों में विभक्त कर किए गए हैं। साथ ही ` 25.55 लाख के कार्यों का निष्पादन करने में प्रक्योरमेंट नियमावली का अनुपालन नहीं किया गया।

अतः उच्चतर प्राधिकारी की संस्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता से बचने के लिए ` 25.55 लाख के कार्यों को छोटे-छोटे भागों में विभक्त कर कराये जाने का प्रकरण विभागीय उच्चतर अधिकारियों के संज्ञान में, उचित कार्यवाही हेतु, लाया जाता है।

क्र.सं.	कार्य का नाम	स्वीकृति की तिथि	कार्यदायी संस्था का नाम	प्राक्कलन की लागत	अवमुक्त धनराशि
1.	कोरोनेशन चिकित्सालय के भूतल में आंतरिक दीवार की रंगाई पुताई	27.01.2015	एस.एस. खुराना	541100.00	537304.00
2.	कोरोनेशन चिकित्सालय के दरवाजे खिड़कियों आदि पेंटिंग	27.01.2015	तदैव	138456.00	137443.00
3.	कोरोनेशन चिकित्सालय के प्रथम तल में आंतरिक दीवार की रंगाई एवं पेंटिग	27.01.2015	तदैव	519900.00	516225.00
4.	कोरोनेशन चिकित्सालय के बाउन्ड्रीवाल की रंगाई एवं पेंटिग	27.01.2015	तदैव	171985.00	170594.00
5.	कोरोनेशन चिकित्सालय के टाईप-01 के चार आवासों की मरम्मत, रंगाई एवं पेंटिग	28.01.2015	तदैव	147900.00	146842.00
6.	कोरोनेशन चिकित्सालय के टाईप-02 के 12 आवासों की मरम्मत, रंगाई एवं पेंटिग	28.01.2015	तदैव	487600.00	446025.00
7.	कोरोनेशन चिकित्सालय के बाहरी दीवारों की पुताई	28.01.2015	तदैव	605500.00	601060.00
कुल योग					**25,55,493.00**

STAN

प्रस्तर-1- औचित्य के बिना ` 292.81 लाख की धनराशि व्यय किया जाना।

उत्तराखण्ड एवं देहरादून के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले ह्रदय रोगियों को उच्च श्रेणी की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग एवं फोरटीज हेल्थ केयर लिमिटेड के मध्य पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंतर्गत अनुबंध गठित किया गया था, जिसका संचालन कोरोनेशन हास्पिटल परिसर में किया जा रहा था। इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले ह्रदय रोगियों को उच्च श्रेणी की चिकित्सा सुविधा प्रदान करने वाले के सारा खर्च राज्य सरकार द्वारा वहाँ किया जाना था, जिसके लिए निदेशालय, स्वास्थ्य विभाग द्वारा 08.03.2011 को अनुबंध किया गया था तथा अनुबंध की समय सीमा 10 वर्ष निर्धारित थी।

कार्डियोलाजी सेंटर के कार्य हेतु कोरोनेशन हास्टिपल परिसर के द्वितीय तल पर लगभग 2500 वर्गमीटर स्थान आवंटित किया गया था, जिसमें कुल बेडों की संख्या 50 निर्धारित की गयी, जिसमें से 25 बेड विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गए जिन पर BPL रोगियों का इलाज किया जाना था। उक्त संस्था के कार्यान्वयन के लिए 47 कार्मिकों को नियुक्त किया जाना था, जिसमें अनुबंध के अनुसार 15 चिकित्सा विशेषज्ञों का होना आवश्यक था। Surgery team में 14 तथा Human Resource for cardiac care centre में 33 कर्मियों को नियुक्त किया जाना था।

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, कोरोनेशन हास्टिपटल के प्रश्नगत प्रकरण से संबंधित लेखा-अभिलेखों की नमूना जाँच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि फोरटीज हेल्थ केयर द्वारा मरीजों का इलाज तीन प्रकार से किया जा रहा था जिसके भुगतान कि प्रक्रिया भी भिन्न भिन्न थी-

1- बीपीएल मरीजों का इलाज जिस पर होने वाले समस्त व्यय राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से वहाँ किया जा रहा था जिसमें ओपीडी व्यय, आईपीडी व्यय तथा Bed Occupancy व्यय सम्मिलित था।
2- एपीएल मरीज जिनकों किसी शासकीय अस्पताल से रेफर किया गया हो, ऐसे मरीजों से उनके इलाज पर होने वाले, CGHS के दरों से सीधे फोरटीज हेल्थ केयर संस्था द्वारा लिया जा रहा था।
3- तथा ऐसे मरीज जो सीधे फोरटीज आते हैं उनका इलाज फोरटीज द्वारा उनकी अपनी निर्धारित दरों से किया जा रहा था और भुगतान भी सीधे प्राप्त किया जा रहा था।

जांच में पाया गया कि 15 विशेषज्ञों के सापेक्ष मात्र 10 चिकित्सक ही Fortis health care में कार्यरत है तथा फोरटीज को शासकीय बेड के सापेक्ष बेड Occupancy हेतु ` 99,200.00 प्रति माह

प्रति बेड भुगतान किए जाने का प्राविधान किया गया था क्योंकि समस्त स्थान राज्य सरकार/विभाग का था जिसका उपयोग फोरटीज द्वारा प्राइवेट मरीजों को देखने के भी लिए किया जा रहा था और फोरटीज की अपनी दर से भुगतान भी प्राप्त किया जा रहा था। विभाग द्वारा Fortis health care को माह फरवरी 2014 से मार्च 2016 Bed Occupancy मद में धनराशि ` 2,92,81,557/- का भुगतान किया गया था, मरीजों की संख्या अनुपलब्ध थी।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि फोरटीज द्वारा अनुबंध कि शर्तों का पालन सुनिश्चित नहीं किया गया और 15 विशेषज्ञों के स्थान पर मात्र 10 विशेषज्ञों को नियुक्त किया गया था और सरकार/विभाग के असम्यक निर्णय के कारण सरकार/विभाग द्वारा Bed Occupancy के रूप में ` 292.81 लाख की धनराशि का ऐसा व्यय किया गया जिसका औचित्य स्पष्ट नहीं था।

उक्त के संबंध में इंगित किए जाने पर विभाग ने तथ्यों एवं आकणों की पुष्टि की था अवगत कराया कि उक्त MOU महानिदेशक स्तर से किया गया था। सरकार एवं विभाग के बीच के अनुबंध के दौरान सभी पहलुओं पर विशेषज्ञों द्वारा परामर्श लिया गया। Fortis Health Care में 15 विशेषज्ञों चिकित्सकों के सापेक्ष 10 चिकित्सकों का कम संस्थान में स्टाफ की कमी होने के कारण है।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि फोरटीज द्वारा अनुबंध कि शर्तों का पालन सुनिश्चित नहीं किया गया और 15 विशेषज्ञों के स्थान पर मात्र 10 विशेषज्ञों को नियुक्त किया गया था एपीएल मरीज जिनको किसी शासकीय अस्पताल से रेफर किया गया हो, ऐसे मरीजों से उनके इलाज पर होने वाला व्यय, CGHS के दरों से सीधे फोरटीज हेल्थ केयर संस्था द्वारा लिया जा रहा था। तथा ऐसे मरीज जो सीधे फोरटीज आते हैं उनका इलाज फोरटीज द्वारा उनकी अपनी निर्धारित दरों से किया जा रहा था और भुगतान भी सीधे प्राप्त किया जा रहा था। सरकार/विभाग के असम्यक निर्णय के कारण व अनुबंध की त्रुटिपूर्ण शर्तों के कारण सरकार/विभाग द्वारा Bed Occupancy के रूप में ` 292.81 लाख की धनराशि का ऐसा व्यय किया गया जिसका कोई औचित्य स्पष्ट नहीं था।

अतः सरकार/विभाग द्वारा bed occupancy के रूप में रू. 292.81 लाख की धनराशि व्यय बिना औचित्य के किए जाने का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-V

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु **मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, राजकीय कोरोनेशन चिकित्सालय, देहरादून** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।

2. लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः-

(अ) शून्य

(I) **अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या**

3. सतत् अनियमितताएः-

(अ) शून्य

4. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया।

क्र.सं.	नाम	पद नाम	अवधि
1.	डा. भारती राणा	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक	01.10.2013 से 17.12.2016 तक
2.	डा. एल.बी. पुनेठा	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक	18.12.2016 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, राजकीय कोरोनेशन चिकित्सालय, देहरादून** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार (सामाजिक क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
(सामाजिक क्षेत्र)